

प्रेस नोट –
थाना समथर, जनपद झाँसी

दिनांक 08.09.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- गैर इरादन हत्या के प्रयास के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 08.09.2025 को थाना समथर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के मु0अ0स0 133/25 धारा 110/351(3)BNS में वाँछित अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र शामिलदास निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना समथर जिला झाँसी उम्र करीब 22 वर्ष को पण्डोखर बॉर्डर पर बने गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसकी निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त बाँस का डण्डा बरामद किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।।

गिरफ्तार अभियुक्त— अभिषेक कुमार पुत्र शामिलदास निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना समथर जिला झाँसी उम्र करीब 22 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान— पण्डोखर बार्डर पर बने गेट के पास थाना समथर जिला झाँसी ।

गिरफ्तारी का दिनांक— 08/09/2025 समय 11.00 बजे

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम –

1. श्री योगेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष थाना समथर जनपद झाँसी
2. उ0नि0 श्री अमर सिंह, थाना समथर जनपद झाँसी
3. कां0 1348 पीयूष राव, थाना समथर जनपद झाँसी
4. का0 1411 नीरज कुमार, थाना समथर जनपद झाँसी